



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 05.02.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

दिनांक 25.12.2016 को वादी द्वारा थाना नहतौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मतलूब उर्फ बुन्दु बाबा पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम शेरपुर बल्ला थाना नहतौर जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 354/16 धारा 363/366 भादवि बनाम मतलूब उर्फ बुन्दु बाबा व 02 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376 भादवि व धारा 376 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 05.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 354/16 धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो अधिनियम के अभियुक्त मतलूब उर्फ बुन्दु बाबा पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम शेरपुर बल्ला थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की कुल धनराशि में से 15,000 /- रुपये पीडिता बतौर प्रतिकर प्रदान किये जायेंगे ।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

मतलूब उर्फ बुन्दु बाबा पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम शेरपुर बल्ला थाना नहतौर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 05.02.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 01 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

दिनांक 23.01.2022 को थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सलीम पुत्र शरीफ निवासी मौ० काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 2 किग्रा डोडा चूर्ण सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०सं० 44/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट बनाम सलीम उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 05.02.2024 को मा० न्यायालय एडीजे-02, जनपद बिजनौर द्वारा मु०अ०सं० 44/22 धारा 8/25 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त सलीम पुत्र शरीफ उपरोक्त को 01 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- सलीम पुत्र शरीफ निवासी मौ० काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 05.02.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 03 लाख रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

दिनांक 17.11.2021 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.वसीम पुत्र हकीम 2.दानिस 3.काले पुत्रगण मुन्ना निवासीगण मौ0 नेजो सराय कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर 4.आसिमफ पुत्र सराफत निवासी सराय रजावली कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 02 कुन्टल गोवंशीय मांस गोवंशीय अवशेष सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 347/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 05.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो मु0अ0सं0 347/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के अभियुक्त वसीम पुत्र हकीम निवासी मौ0 नेजो सराय कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 3,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

वसीम पुत्र हकीम निवासी मौ0 नेजो सराय कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नजीबाबाद

दिनांक 05.02.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 46/2024 धारा 376/506 भादवि व 3/4
पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.02.2024 को वादीनी द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त सादिक पुत्र अख्तर निवासी ग्राम अलीपुर कलहेड़ी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने वादीनी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया । इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 46/2024 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम बनाम सादिक उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.02.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 46/2024 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त सादिक पुत्र अख्तर निवासी ग्राम अलीपुर कलहेड़ी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सादिक पुत्र अख्तर निवासी ग्राम अलीपुर कलहेड़ी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री जोगेन्द्र बैसला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2- का0 2131 सुभाष थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3- म0का0 958 प्रीति थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावर

दिनांक 05.02.2024

थाना मंडावर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.02.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त राजू पुत्र वीर सिंह निवासी मौहम्मदपुर देवमल थाना मंडावर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना मंडावर पर मु0अ0स0 38/2024 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम राजू उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

राजू पुत्र वीर सिंह निवासी मौहम्मदपुर देवमल थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.मुख्य आरक्षी 781 धन सिंह थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 2.आरक्षी 1177 पुनीत त्यागी थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात

दिनांक 05.02.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.02.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त मौ० शफी पुत्र मुस्तफा उर्फ निक्का निवासी ग्राम हल्लोवाली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना पर नगीना देहात पर मु०अ०स० 38/2024 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम मौ० शफी उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

मौ० शफी पुत्र मुस्तफा उर्फ निक्का निवासी ग्राम हल्लोवाली थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.मुख्य आरक्षी 633 रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.आरक्षी 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक:- 05.02.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.02.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	धामपुर	पवन सिंह पुत्र मंगू सिंह नि० सरकथल चकराजमल थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2	हल्दौर	कैलाश पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम गंगौडा जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3	मंडावर	रोहित पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम मोहिदीनपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
4	नजीबाबाद	आफताब पुत्र इकरार निवासी मौहल्ला किला कस्बा साहनपुर थाना नजीबाबाद बिजनौर
5	नजीबाबाद	दयाराम पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम गुढीसराय थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6	शिवालाकला	रणवीर पुत्र बाबूराम निवासी थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर
7	नूरपुर	इरफान पुत्र हबीबुर्हमान नि० फतुल्लागज मछली बाजार थाना ठाकुरद्वारा मुरादाबाद



थाना शिवालाकला



थाना नूरपुर



थाना धामपुर



थाना हल्दौर



थाना मंडावर



थाना नजीबाबाद



थाना नजीबाबाद



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 05.02.2024

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 668/23 धारा 452/324/325/307/506 भादवि से संबंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.12.2023 को वादी श्री सोनू पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नरावली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.नितेश पुत्र रणवीर सिंह 2.प्रियांशू पुत्र प्रणवीर सिंह आदि कुल 03 नफर निवासीगण ग्राम नरावली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादी के घर में घुसकर लोहे की रॉड व धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से वार कर वादी को गम्भीर रूप से घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 668/2023 धारा 452/324/325/307/506 भादवि बनाम नितेश आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.02.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 668/23 धारा 452/324/325/307/506 भादवि से संबंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

बाल अपचारी का नाम व पता –

एक बाल अपचारी

बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम –

- 1.व0उ0नि0 श्री सुरजीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. का0 1972 गौरव चौहान थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना बढापुर

दिनांक 05.02.2024

थाना बढापुर पुलिस ने मु0अ0सं0 21/2024 धारा 308/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.02.2024 को वादिनी ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.फैजान पुत्र इरशाद निवासी नई बस्ती रामजीवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर, 2.मुस्तकीम पुत्र सफीक व 3.बाबू पुत्र सफीक निवासीगण मौहल्ला गंजपुरा कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के पति के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डन्डो से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 21/2024 धारा 308/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित फैजान पुत्र इरशाद निवासी नई बस्ती रामजीवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर व बाबू उर्फ अयान पुत्र सफीक निवासी मौहल्ला गंजपुरा कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त दो लकड़ी के डन्डे बरामद किये गए । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

1. फैजान पुत्र इरशाद निवासी नई बस्ती रामजीवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
2. बाबू उर्फ अयान पुत्र सफीक निवासी मौहल्ला गंजपुरा कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण:-

घटना में प्रयुक्त दो लकड़ी के डन्डे ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
- 2.मुख्य आरक्षी 437 आशीष कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
3. मुख्य आरक्षी 507 प्रवेन्द्र कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
4. मुख्य आरक्षी 634 राजेश कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा

दिनांक – 05.02.2024

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गया गन्ना, अवैध चाकू व नगदी सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.02.2024 को वादी श्री ओमकार सिंह पुत्र श्री राजपाल सिंह निवासी ग्राम झाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर पर तहरीर दी कि दी अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी व वादी के पडोसी मनोज कुमार के खेत से गन्ना चोरी कर लिया है । तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 09/2024 धारा 379



भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में बिट्टू पुत्र छोटन उर्फ सुल्ताना निवासी ग्राम झाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त बिट्टू पुत्र छोटन उर्फ सुल्ताना निवासी ग्राम झाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू व गन्ना चोरी कर बिक्री से प्राप्त ₹ 1280 /- बरामद किये गये व अभियुक्त की निशादेही पर प्राप्त रशीद के आधार पर 13.90 कुन्तल गन्ना कोल्हू से बरामद किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी ।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने करीब 8-10 दिन पहले ग्राम पीपलीजट से गन्ना चुराकर कोल्हू में 2,000 /- रुपये में बेच दिया था, मेरे पास जो रुपये मिले हैं उसी गन्ना चारी के हैं तथा दो दिन पूर्व अपने गांव के ओमकार सिंह व ग्राम उलेढा के मनोज कुमार के खेत से गन्ना चोरी करके सुभाषचन्द के कोल्हू पर बेच दिया था । गन्ना उठाने के लिये नये लडको को मजदूरी पर ले लेता हूँ, जिससे यह मालूम न हो कि मैं गन्ना किसके खेत से उठवा रहा हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बिडू पुत्र छोटन उर्फ सुल्ताना निवासी ग्राम झाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

₹ 1280 /- व 13.90 कुन्तल गन्ना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा बिजनौर
- 2.का0 1754 अजय कुमार थाना हीमपुर दीपा बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नूरपुर

दिनांक 05.02.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 42/2024 धारा 147/148/307/323/324/336/504 भादवि व धारा 7 सीएल एक्ट में वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.02.2024 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.राजू, 2.अमित कुमार, 3.ब्रिजू, 4.संजीव व 5.अरूण कुमार पुत्रगण धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम बल्दाना सफीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा लाठी डन्डो से वादी व वादी के परिजनो के साथ गाली गलौच व मारपीट की गई । तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर



पर मु0अ0सं0 42/2024 धारा 147/148/307/323/336/504 भादवि व धारा 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही में धारा 324 भादवि की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.राजू व 2.अरूण कुमार पुत्रगण धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम बल्दाना सफीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

- 1.राजू पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम बल्दाना सफीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 1.अरूण कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम बल्दाना सफीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री रामपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 2532 सोनू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 2573 हरिओम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना देहात

दिनांक- 05.02.2024

थाना नगीना देहात क्षेत्रान्तर्गत पुलिस टीम के साथ मुठभेड के दौरान 25,000/- रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर अपराधी को उसके साथी अभियुक्त के साथ घायल अवस्था में किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण :-

जनपद में अपराध की रोकथाम, लूट, चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.02.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि गांव परमावाला की ओर से थाना नगीना देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/24 धारा 398/401/307 भादवि में वांछित एवं 25,000/- रुपये का इनामी हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शहजाद उर्फ मैगी अपने एक अन्य साथी के साथ मोटरसाइकिल से कोई गंभीर घटना घटित करने की फिराक में पूर्वी गंगनहर वाली सड़क से कोटद्वार रोड की तरफ आ रहा है ।

सूचना पर ग्राम टांडा माईदास के जंगल में पूर्वी गंग नहर पर बने डैम पर थाना नगीना देहात पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल पर आ रहे दोनों व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों की मोटरसाइकिल राजबाहे पर बनी पुलिया से टकराकर गिर गई और दोनों



बदमाश पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की जिसमें एक बदमाश के दाहिने तथा दूसरे बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिनको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 खोखा व 04 जिंदा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस जिसमें जानवर काटने के उपकरण रखे हैं बरामद हुए हैं। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की कार्यवाही के दौरान मुख्य आरक्षी अमित कुमार के गिर जाने से हाथ एवं पैर में चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी को उपचार हेतु सीएचसी नगीना में भेजा गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों को सीएचसी नगीना में प्राथमिक उपचार के उपरान्त 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल बिजनौर भर्ती कराया गया। इस संबंध में थाना नगीना देहात पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया है आज हम घटना करने के उद्देश्य से नजीबाबाद से नगीना देहात आ रहे थे। साथ ही अभियुक्त शहजाद उर्फ मैगी ने यह भी बताया कि पूर्व में भी मैंने अपने तीन अन्य साथियों 1- गुलजार पुत्र अनीस निवासी मौहल्ला पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2- सोनू बिहारी उर्फ इरफान पुत्र गुलाम रसूल निवासी मौहल्ला मगलूशाह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 3- वाहिद उर्फ टल्ली निवासी नगीना के साथ मिलकर लूट/चोरी की योजना बनाने के दौरान पुलिस टीम ने हमें पकड़ने का प्रयास किया था जिस पर मैंने एवं मेरे साथियों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, जिसमें मैं और मेरा साथी वाहिद उर्फ टल्ली मौका पाकर फरार हो गये थे और गुलजार व सोनू बिहारी उर्फ इरफान पकड़े गये थे। **(इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 09/24 धारा 398/401/307 भादवि पंजीकृत है।)**

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शहजाद उर्फ मैगी उपरोक्त थाना नजीबाबाद का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर अपराधी व 25,000/- रुपये का ईनामी अपराधी है तथा इसके विरुद्ध जनपद बिजनौर एवं जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड के विभिन्न थानों में चोरी, गोकशी, गैंगस्टर आदि के करीब 15 अभियोग दर्ज हैं तथा अभियुक्त शहजाद पुत्र युसुफ उपरोक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन गोकशी, अवैध शस्त्र आदि के अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. शहजाद उर्फ मैगी पुत्र मोहसिन नि0 जाफतागंज पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. शहजाद पुत्र यूसुफ कुरैशी निवासी मोहल्ला मेहंदी बाग कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण –

- 1- 02 अवैध तमंचा 315 बोर व 03 खोखा व 04 जिंदा कारतूस।
- 2- 01 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस।
- 3- जानवर काटने के उपकरण।

आपराधिक इतिहास शहजाद उर्फ मैगी पुत्र मोहसीन (हिस्ट्रीशीट नम्बर 10ए) उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 335/16 धारा 380/34 भादवि व 6/11 गोवंश अधि0 थाना कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड।
2. मु0अ0सं0 72/17 धारा 380/34 भादवि व 6/11 गोवंश अधि0 थाना कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड।
3. मु0अ0सं0 75/17 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड।

4. मु0अ0सं0 282/17 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना कोटद्वार जनपद पौडी उत्तराखण्ड ।
5. मु0अ0सं0 495/2020 धारा 1(1)(d) पशु क्रूरता अधि0 थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
6. मु0अ0सं0 79/2021 धारा 5/25 शस्त्र अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
7. मु0अ0सं0 126/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
8. मु0अ0सं0 89/2021 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
9. मु0अ0सं0 205/2022 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
10. मु0अ0सं0 235/2022 धारा 13 जुआ अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
11. मु0अ0सं0 277/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मण्डावली जनपद बिजनौर ।
12. मु0अ0सं0 680/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
13. मु0अ0सं0 17/2022 धारा 3/5/11(1) गोवंश संरक्षण अधि0 थाना कोटद्वार पौडी गढवाल उत्तराखण्ड ।
14. मु0अ0सं0 276/2022 धारा 8/21/22 NDPS ACT थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
15. मु0अ0सं0 9/24 धारा 398/401/307 भादवि थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास शहजाद पुत्र यूसुफ कुरैशी उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 564/18 धारा 3/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नजीबाबाद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 150/19 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 558/19 धारा 5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नजीबाबाद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 266/20 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना नजीबाबाद बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 406/20 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
6. मु0अ0सं0 79/2021 धारा 5/25 शस्त्र अधि0 थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
7. मु0अ0सं0 126/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
8. मु0अ0सं0 277/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मंडावली जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री हम्बीर सिंह जादौन, थाना प्रभारी नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
3. मुख्य आरक्षी अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
4. आरक्षी आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
5. आरक्षी विनय कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
6. आरक्षी अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
7. आरक्षी जितेन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।